सं0– 107 /उत्तीस(2)09–2(60पे0)/2006

प्रेषक,

एम0ए0ख0खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक 21 जनवरी, 2009

विषयः–वित्तीय वर्ष 2008–09 में नगरीय पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन एंव सदृढीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत रामनगर की श्रोत सम्बर्द्धन पेयजल योजना हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत रामनगर नगरीय पेयजल योजना के निर्माण हेतु स्वीकृत रू0 336.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या 532/नौ–2–(14पे0)/2001 दिनांक 29 मार्च, 2003 द्वारा रू0 50.00 लाख, शासनादेश संख्या 781/नौ–2–(47पे0) /2003, दिनांक 29 मार्च, 2004 द्वारा रू0 74.00 लाख, शासनादेश संख्या 1501/उत्तीसा(2)/05–2(25पे0)/2005, दिनांक 08.12.05 द्वारा रू0 50.00 लाख एंव शासनादेश संख्या 1637/उत्तीसा(2)/05 2(60पे0)/2006, दिनांक 04 अगस्त 2006 द्वारा रू0 50.00 लाख अर्थात कुल रू0 224.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, के क्रम में तथा तद्विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 3158/घनांवटन प्रस्ताव/दिनांक 02.09.08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामनगर श्रोत सम्बर्द्धन नगरीय पेयजल योजना हेतु रू0 60.00 लाख (रू0 साठ लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय बालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

3 कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त (वि0आ0 शा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सी.टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5 उक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः 2

6 स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2009 तक उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जो धनराशि दिनांक 31.03.2009 तक अप्रयुक्त रहती है उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7 आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिए ही अनुमन्य है, कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

8 कार्य स्वीकृत राशि तक ही सीमित रखे। अधिक्य किसी भी दशा में न किया जाय। अधिक्य के लिए निर्माण इकाई स्वयं उत्तरदाई होगा।

9 निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

10 कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

11 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुदान सं0-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम -05-नगरीय पेयजल-01-नगरीय पेयजल योजनाओं कापुनर्गठन/जीर्णोद्धार सुदृढीकरण हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

12 यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27.03.08 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव

संख्या-167/उन्तीस(2)/08-2/(60पे0)/2006,तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड,देहरादून।
2 मण्डलायुक्त, कुमायूँ, नैनीताल।
3 जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जलसंस्थान देहरादून।
6- मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
7 वित्त अनुभाग-3/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ट, उत्तराखण्ड शासन.।
8 निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री।
9 स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरखण्ड शासन।
10 निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11 निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव